

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल

Phone: 0755-2540590, 4050000-07  
Fax: 0755-2541376

Email: [deangmc\\_bpl@yahoo.co.in](mailto:deangmc_bpl@yahoo.co.in)  
Website - [www.gmcbbhopal.net](http://www.gmcbbhopal.net)

क्रमांक 23667-73/एम.सी./अराज-5/2024

भोपाल, दिनांक...../08/2024

// अनापत्ति प्रमाण-पत्र //

—000—

मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-एफ 2/57/2018/55-1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में वर्णित प्रावधानों के तहत एवं संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल की अनुशंसा के आधार पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल से संबद्ध हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल की स्थापना में कार्यरत निम्नलिखित नर्सिंग ऑफिसरों की आपसी सहमति के आधार पर पारस्परिक अदला-बदली हेतु निम्न शर्त पर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नानुसार जारी किया जाता है।

क्र	कर्मचारी का नाम, पदनाम (जाने वाले)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले)	कर्मचारी का नाम (आने वाले)	पदस्थापना स्थल (आने वाले)
1	जैश्री मुखर्जी तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर, अनारक्षित	हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल	शालु कुशवाहा, नर्सिंग ऑफिसर, अनारक्षित	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल
2	गीतू टी कुरुप, नर्सिंग ऑफिसर, अनारक्षित	हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल	रेणुका नाईक, नर्सिंग ऑफिसर, अनारक्षित	शासकीय स्वशासी महाराजा यशवंतराय चिकित्सालय इंदौर
3	सुमित्रा पनिका, नर्सिंग ऑफिसर, अनु0 जन जाति	हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल	पूजा कुमरे, नर्सिंग ऑफिसर, अनु0 जन जाति	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल

1. पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद एवं समान संवर्ग के लिये होना चाहिए, ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिये।
2. पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा।
3. नवीन नियुक्ति दिये जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुये चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।
4. उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिये नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।
5. उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनों आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनों आवेदकों में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/शहडोल की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल।
4. जैश्री मुखर्जी तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर/ गीतू टी कुरुप, नर्सिंग ऑफिसर/ सुमित्रा पनिका, नर्सिंग ऑफिसर द्वारा-संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आदेश नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी संस्था, भोपाल